रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2004/आषाढ़ 16, 1926
No. 613] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2004/ASADHA 16, 1926

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2004

का.आ. 801(अ).— और जबकि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संख्या का.आ. 60 (अ) दिनांक 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना के कतिपय संशोधनों का प्रारूप भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (II) में संख्या का.आ. 1236 (अ), दिनांक 27 अक्तूबर, 2003 के तहत प्रकाशित किया गया था जिसमें इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से सर्व साधारण को उक्त अधिसूचना निहित राजपत्र की प्रति प्राप्त होने के साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्तियों और सुझाव मंगवाए गए हैं ;

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रति जनता को 27 अक्तूबर, 2003 को उपलब्ध करवा दी गई थी ;

और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) 1985 की सं0 4677 में 1994 की रिट याचिका संख्या 725 के साथ आई ए0 संख्या 20, 21, 1207, 1183, 1216 और 1251 में " हिन्दुस्तान टाइम्स " में एक समाचार " एंड क्वाइट फ्लोज द मैली यमुना " बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित अन्य मामले के संबंध में आदेश पर विधिवत विचार किया गया

और जबकि सी एस कुप्पुराज और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के बीच माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के रिट याचिका (सी) 2003 की सं0 33493 और रिट याचिका 2003 की सं.

35205, 35517, 35691, 35692 और 35825 और रिट याचिका एम.पी. 2003 की सं0 40556, 42562, 43720, 45348 से 45350, 42791, 42792, 43882, 43181, 43366 से 43369, 43544 और 43545 पर के आदेश पर भी विधिवत विचार किया गया,

और जबकि प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया ;

और इसलिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अधिसूचना सं० का.आ. 60 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 1994 में आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत;

उक्त अधिसूचना में,:

I पैरा 3 में-

(i) मद सं. (क) में " सं. 3,18 और 20 वर्ण, शब्द और आंकड़ों के स्थान पर" संख्या 3,18,20,31 और 32" वर्ण, शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप पैरा(च) में निम्नलिखित जोड़े जाएंगे, नामतः-

" (छ) 1000(एक हजार) व्यक्तियों या इससे कम के लिए नए टाउनशिप, औद्योगिक टाउनशिप्स, रिहाईशी कालोनियों, व्यावसायिक परिसरों, होटल परिसरों, अस्पताल और कार्यालय परिसरों सहित अनुसूची 1 की प्रविष्टि 31 के अंतर्गत आने वाली अथवा प्रतिदिन 50,000(पचास हजार) लीटर अथवा इससे कम मलजल निकासी करने वाली अथवा 50,00,00,000/-(पचास करोड़ रूपए) या इससे कम के निवेश की कोई निर्माण परियोजन।

(ज) ऐसी औद्योगिक संपदाओं, जिनका क्षेत्र कुछ भी हो लेकिन जिनमें प्रदूषण की संभाव्यता अधिक हो, को छोड़कर 50 हैक्टेयर अथवा इससे कम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को स्थान देने वाली औद्योगिक संपदाओं सहित अनुसूची-I की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आने वाली कोई औद्योगिक संपदा ।

स्पष्टीकरणः-

(i) नई निर्माण परियोजनाएं जिन्हें इस अधिसूचना के अन्तर्गत अपेक्षित मंजूरी के बिना आरंभ किया गया था और जिनका निर्माण कार्य कुर्सी स्तर तक नहीं पहुंचा है, के लिए इस अधिसूचना के अंतर्गत 7 जुलाई 2004 से मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

(ii) नई औद्योगिक संपदाओं जिन्हें इस अधिसूचना के अन्तर्गत अपेक्षित मंजूरी के बिना आरंभ किया गया था के मामले में और जहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है या व्यय कुल स्वीकृत लागत के 25% से अधिक नहीं है, इस अधिसूचना के अंतर्गत 7 जुलाई 2004 से मंजूरी लेनी अपेक्षित होगी ।

(iii) किसी परियोजना प्रस्तावक को उप पैरा (छ) और (ज) के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के चरण बद्ध रूप से अथवा माड्यूल में कार्यान्वयन के लिए इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुमोदन के लिए सभी चरणों अथवा मूल्यांकन हेतु माडयूलों को शामिल करके परियोजना के पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।" ;

II . अनुसूची I में मद संख्या 30 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

" 31. नई निर्माण परियोजनाएं

32. नई औद्योगिक सम्पदाएं"

III . अनुसूची- II में,

(i) पैरा 5 में, उप पैरा (च) के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(च)(i) प्रस्तावित गतिविधियों के फलस्वरूप प्राप्ति जल निकाय में छोड़े जाने वाले मौजूदा औद्योगिक बहिस्रावों और घरेलू मलजल व उसके वर्धित भार की मात्रा तथा उसके शोधन संबंधी विवरण ;

(ii) नगर ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक बहिस्राव तथा घरेलू मलजल सहित ठोस अपशिष्टों के निपटान से पूर्व व उसके बाद प्राप्ति जल निकाय में जल की मात्रा व गुणवत्ता;

(iii) भूमि पर छोड़े जानेवाले औद्योगिक बहिस्राव एवं घरेलू सीवेज की मात्रा और भूमि की किस्म ; ";

(ii) पैरा 6 में, उप पैरा (क) के लिए निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(क) नगर ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्टों सहित उत्सर्जित ठोस अपशिष्टों की किस्म व मात्रा ।"

[सं. जेड-11011/1/2002-आईए-I]
आर.चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 27.1.1994 की सं. का.आ. 60 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और तदुपरांत निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गयाः-

1) का.आ. 356 (अ) दिनांक 4 मई, 1994
2) का.आ. 318 (अ) दिनांक 10 अप्रैल, 1997
3) का.आ. 73 (अ) दिनांक 27 जनवरी, 2000
4) का.आ. 1119 (अ) दिनांक 13 दिसम्बर, 2000
5) का.आ. 737 (अ) दिनांक 1 अगस्त, 2001
6) का.आ. 1148 (अ) दिनांक 21 नवम्बर, 2001
7) का.आ. 632 (अ) दिनांक 13 जून, 2002
8) का.आ. 248 (अ) दिनांक 28 फरवरी, 2003
9) का.आ. 506 (अ) दिनांक 7 मई, 2003
10) का.आ. 891 (अ) दिनांक 4 अगस्त, 2003
11) का.आ.1087 (अ) दिनांक 22 सितम्बर, 2003